<u>प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 35/2024)</u>

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 का 01.07.2024 00:00:00 बजे से कार्यान्वयन

नई दिल्ली, 28 जून 2024 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किया था, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू होगा।

2. इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य अनैतिक तत्वों द्वारा फर्जी सिम स्वैप या प्रतिस्थापन के माध्यम से मोबाइल नंबरों को पोर्ट करने की प्रथा पर रोक लगाना है। इन संशोधन विनियमों के माध्यम से, यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड की शुरुआत की गयी है। विशेष रूप से, यदि यूपीसी के लिए अनुरोध सिम स्वैप या मोबाइल नंबर का प्रतिस्थापन की तीथि से सात दिनों की समाप्ति से पहले किया गया है, तो उस स्थिति में यूपीसी आवंटित नहीं किया जायेगा।

3. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(महेंद्र श्रीवास्तव)

सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा